राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

:– नागरिक अधिकार पत्र :–

(संशोधित)

मादक पदार्थों के उत्पादन, आधिपत्य, क्रय व विक्रय पर नियंत्रण क्यों ?

मादक पदार्थों का व्यवसाय करना किसी का भी मौलिक अधिकार नही है। इन पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं बेचान की प्रक्रिया पर राज्य द्वारा उसकी नियमन सम्बन्धी शक्तियों के अन्तर्गत नियन्त्रण किया जाता है। ये शक्तियां राज्य सरकार को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की बिन्दु संख्या 8 एवं 51 में मादक पदार्थों के उत्पादन, अधिपत्य, परिवहन, क्रय एवं विक्रय तथा इन पर आबकारी ड्यूटी आरोपित करने के बारे में विस्तृत प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त है।

आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग को इस भांति नियन्त्रित करना है ताकि गुणवत्तायुक्त मानव उपयोगी पदार्थो का उत्पादन होने के साथ–साथ इस प्रक्रिया से समुचित राजस्व अर्जित हो एवं घातक एवं अवैध मादक पदार्थ पर कठोरतम नियन्त्रण हो सके।

आबकारी विभाग के उद्देश्य एवं कार्य–कलाप :–

1. राज्य के सर्वोन्मुखी विकास हेतु आबकारी राजस्व एकत्र करना।
2. मादक पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण पर पर्यवेक्षण, नियन्त्रण तथा उनकी गुणवता सुनिश्चित करने हेतु कारगर कार्यवाही करना।
3. घातक व अवैध मादक पदार्थों के सेवन से जनसाधारण को विमुख करना एवं ऐसे पदार्थों पर कठोर नियंत्रण करना।
4. आबकारी राजस्व को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना।
5. टेम्परेन्स (मद्यसंयम) कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन।
6. आबकारी अपराधों में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करना

आबकारी राजस्व अर्जन के प्रमुख स्त्रोत :

मदिरा–बीयर–डोडा पोस्त के ठेकों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा वर्षवार निर्धारित आबकारी नीति अनुसार किया जाता है। मदिरा–बीयर–भांग–डोडा पोस्त के अनुज्ञाधारी इन पदार्थों का व्यवसाय करने का अनुज्ञापत्र प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि राजस्व के रूप में देने का अनुबंध करते हैं। अनुज्ञाधारियों को मदिरा तथा डोडापोस्त का विक्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मुल्य के अनुसार ही किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं यथा डिस्टलरी, ब्रेवरी, बोटलिंग प्लांट, देशी मदिरा निर्माण संयत्र, होटल एवं क्लब बार, सी.एस.डी. प्रासव आधारित व्यवसायिक एवं निर्माण इकाईयों आदि के अनुज्ञापत्र भी विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। विभाग की इन गतिविधियों से आबकारी राजस्व राज्यकोष को अर्जित होता है।

<u>सामान्य नागरिक की जानकारी हेतु आबकारी सम्बन्धी मुख्य प्रावधान एवं व्यवस्थायें:–</u>

1. <u>अधिकतम व्यक्तिगत अधिपत्य सीमा :–</u>

एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम निम्न मात्रा क्रय/आधिपत्य हेतु सक्षम है :–

A. देशी मदिरा : 3 लीटर अर्थात् 4 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)
B. भा.नि.वि.म. : 6 लीटर अर्थात् 8 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)
C. बीयर : 7.80 लीटर अर्थात 12 बोतल (प्रति बोतल 650 एम.एल.)
D. भांग : 200 ग्राम
E. डोडा पोस्त : विभाग द्वारा जारी उपभोक्त परमिट के अनुसार
F. अफीम : विभाग द्वारा जारी उपभोक्त परमिट के अनुसार ।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दण्डनीय गैर जमानतीय अपराध है।

2. <u>समारोहों में मदिरा सेवन</u>

- पारिवारिक एवं सामाजिक समारोह में मदिरा के सेवन हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने की व्यवस्था है।
- अनुज्ञा शुल्क – 1000/– रू. प्रतिदिन।
- अनुज्ञापत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता हैं – संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से।
- इस प्रावधान की अवहेलना दण्डनीय अपराध है।

3. <u>होटल बार में मदिरा सेवन</u>

आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्स शुदा होटल बार में मदिरा का सेवन किया जा सकता है। जिस किसी भी होटल में, जिसे आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र नही दिया गया है, उसमें मदिरा सेवन करना कानूनी अपराध है। ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

4. मादक पदार्थो के सेवन को प्रोत्साहन देने पर प्रतिबन्ध

मादक पदार्थो को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों, प्रकाशनों, परिपत्रों तथा समाचारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है ताकि ऐसे प्रचार–प्रसार के वशीभूत होकर साधारण नागरिक मादक पदार्थो की ओर उन्मुख एवं आकर्षित नही हो पावे ।

5. शुष्क दिवस

विभिन्न दिवसों की पवित्रता के दृष्टिगत निम्नांकित पांच शुष्क दिवस घोषित कर, मदिरा एवं भांग का बेचान, पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया हुआ है : –

1. गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी)
2. शहीद दिवस (30 जनवरी)
3. महावीर जयन्ती (तिथी अनुसार)
4. स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त)
5. गांधी जयन्ति (02 अक्टूबर)

6. अवैध मादक पदार्थो सम्बन्धी दण्डात्मक व्यवस्थायें :

- मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन, आधिपत्य, विक्रय आदि पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध है।
- मादक पदार्थो के अवैध निर्माण, परिवहन, आधिपत्य, विक्रय आदि गैर जमानतीय दण्डनीय अपराध है ।

7. मदिरा की खुदरा दुकानों का समय निर्धारण :

राज्य सरकार के आदेश की पालना में मदिरा की दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया है ।

8. मदिरा सेवन में संयम हेतु व्यवस्था :

राजस्थान में विक्रय होने वाली देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येंक बोतल पर ‘‘मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है’’ एवं ‘‘राजस्थान में विक्रय के लिये’’ लिखा होना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बोतलों पर अधिकतम खुदरा मुल्य अंकित रहना एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर के प्रत्येक कार्टन पर होलोग्राम चिपका होना अनिवार्य है ।

9. मदिरा दुकानों के लोकेशन सम्बन्धी प्रावधान :

आबकारी नियम 75 के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्य में संचाालित मदिरा की समस्त 156 दुकानों का संचालन बंद किया जा चुका है तथा वर्ष 2009–10 में कोई भी दुकान शिथिलता के अन्तर्गत संचालित नहीं है।

10. चयनित वर्ग को मदिरा बेचान पर प्रतिबन्ध :

अनुज्ञापत्र की शर्तानुसार निम्न को मदिरा नहीं बेची जा सकती है : –

- 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को,
- जिसके के होश हवास दुरूस्त नहीं हों,
- पुलिस तथा सेना के सिपाही जो वर्दी में व डयूटी पर हो,
- रेल्वे कर्मचारी जो डयूटी पर हो,
- आबकारी विभाग का कर्मचारी जो वर्दी में अथवा ड्यूटी पर हों,
- किसी भी वाहन के वाहन चालक,
- हवाई जहाज के पायलट को यात्रा के दौरान,

11. मदिरा की खुदरा दुकानों पर कौन कार्य नहीं कर सकता :–

- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
- छूत रोग से पीडित व्यक्ति
- महिलाएं

12. डोडा पोस्त का उत्पादन, भण्डारण एवं निस्तारण :

डोडा पोस्त का उत्पादन नारकोटिक्स विभाग द्वारा पट्टाधारी व्यक्ति ही कर सकता है। पट्टाधारी काश्तकार उत्पादित डोडा चूरा का निस्तारण अनिवार्य रूप से 31 जुलाई तक विभाग द्वारा अधिकृत अनुज्ञाधारी को करेगा अन्यथा उसे अवशेष माल को जलाकर नष्ट करना होता है। अति विशिष्ट परिस्थितियों में इस अवधि को अधिकतम 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

13. अफीम एवं डोडा पोस्त का नियन्त्रित उपभोग :

अफीम एवं डोडा पोस्त प्रतिबंधित मादक पदार्थ है जिसका सेवन अभ्यस्त परमिटधारी नागरिक ही कर सकते हैं । अफीम पंजीकृत व्यसनियों को ही उपलब्ध कराई जाती है। अफीम के नये व्यसनी पंजीकृत नहीं किये जाते हैं। सरकार द्वारा डोडा पोस्त के अभ्यस्त उपभोक्ताओं का ध्यान रखते हुये डोडा पोस्त के उपभोक्ता परमिट जारी करने हेतु जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था, जिसमें जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा व्यक्ति विशेष की डोडा पोस्त की आवश्यकता का आंकलन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाकर, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपभोक्ता को जो परमिट जारी किये गये थे उनका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

14. **<u>जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष नीति</u>** :

देशी मदिरा का विक्रय राज्य सरकार के उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से स्वयं इस संस्थान द्वारा अथवा इसके द्वारा नियुक्त फ्रैंचाईजी द्वारा किया जाता है। भा.नि.वि.म./बीयर का विक्रय अन्य क्षेत्रों की भांति अनुज्ञाधारियों द्वारा किया जाता है।

15. **<u>शिकायत कहां करें ?</u>**

आम नागरिकों द्वारा अपनी शिकायते विभाग के राज्य स्तर पर अवस्थित कार्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर में संभाग स्तर पर अवस्थिति कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन तथा जिला स्तर पर अवस्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मदिरा के अवैध निर्माण एवं परिवहन तथा विक्रय इत्यादि के सम्बन्ध में आम नागरिक अपनी शिकायते राज्य स्तर पर अवस्थित प्रवर्तन निदेशालय, आबकारी, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत कर सकते है।

16. **<u>आबकारी विभाग की प्रशासनिक संरचना</u> :–**

राजस्थान मे आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर मे अवस्थित है एवं **आबकारी आयुक्त** इसके विभागाध्यक्ष है। आयुक्त को प्रशासनिक कार्य मे सहयोग देने हेतु आबकारी मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), अतिरिक्त आयुक्त आबकारी मुख्यालय, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त विधि परामर्शी, उपायुक्त आबकारी, उपायुक्त निरोधक दल एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित है।

विभागीय कार्यकलापो के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण छः अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर गठित किया हुआ है :–

अजमेर जोन :– अजमेर, भीलवाडा, नागौर एवं टोंक ।
जयपुर जोन :– अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झुन्झुनू एवं सीकर ।
जोधपुर जोन :– जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सिरोही
कोटा जोन :– बांरा, सवाईमाधोपुर, करौली, बून्दी, झालावाड एवं कोटा
बीकानेर जोन :– बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ
उदयपुर जोन :– चित्तोडगढ, बॉसवाडा, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर तथा प्रतापगढ ।

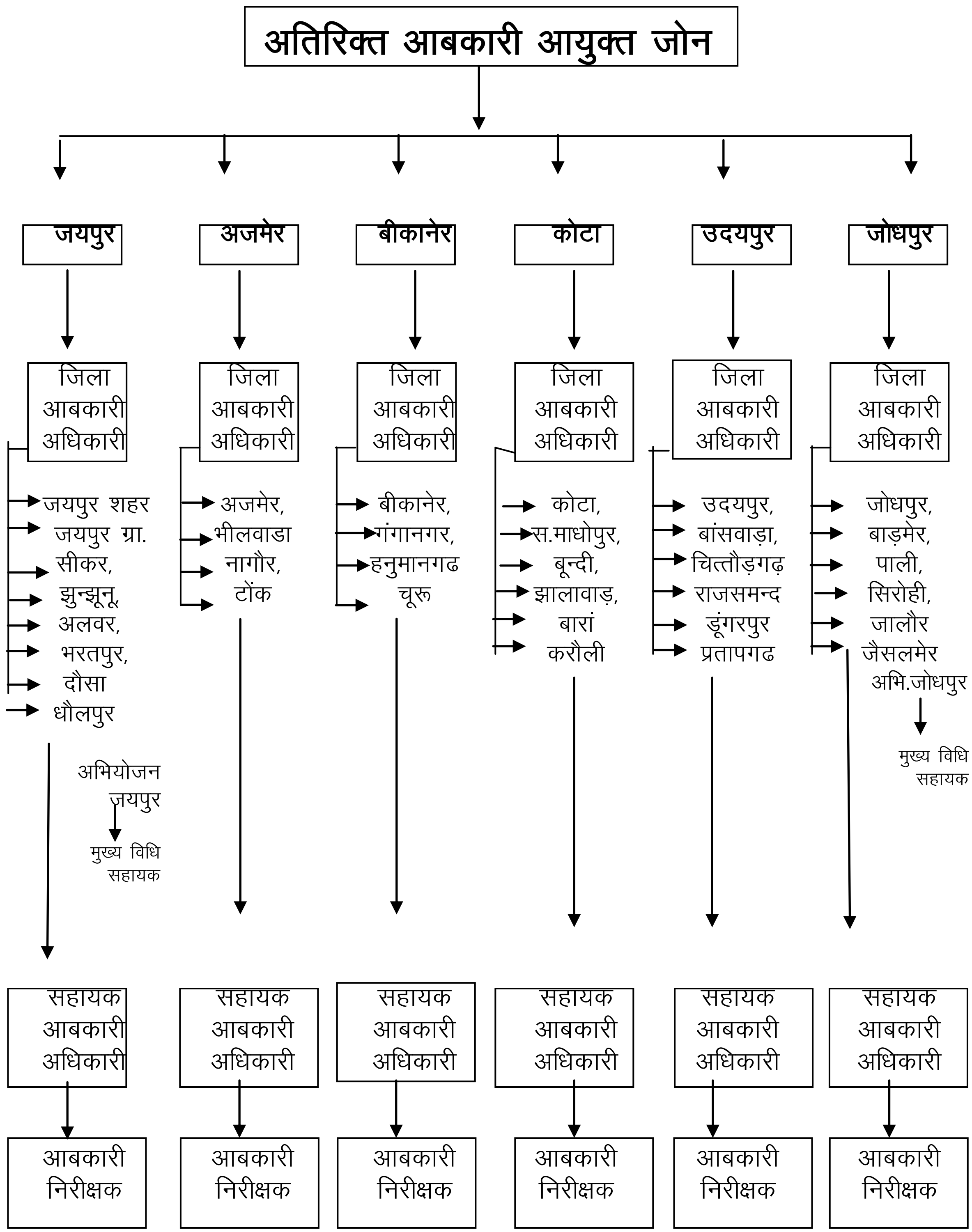
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन
जयपुर
अजमेर
बीकानेर
कोटा
उदयपुर
जोधपुर
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर
जयपुर ग्रा.
सीकर,
झुन्झूनू,
अलवर,
भरतपुर,
दौसा
धौलपुर
अभियोजन जयपुर
मुख्य विधि सहायक
अजमेर,
भीलवाडा
नागौर,
टोंक
बीकानेर,
गंगानगर,
हनुमानगढ
चूरू
कोटा,
स.माधोपुर,
बून्दी,
झालावाड़,
बारां
करौली
उदयपुर,
बांसवाड़ा,
चित्तौड़गढ़
राजसमन्द
डूंगरपुर
प्रतापगढ
जोधपुर,
बाड़मेर,
पाली,
सिरोही,
जालौर
जैसलमेर
अभि.जोधपुर
मुख्य विधि सहायक
सहायक आबकारी अधिकारी
आबकारी निरीक्षक

17. **आबकारी विभाग के <u>महत्वपूर्ण</u> अधिकारियों के टेलिफोन नम्बर्स की सूची** :–

विभाग के मुख्यालय उदयपुर स्थित कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर तथा राज्य के संभाग एवं जिला स्तर पर पदस्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, दुरभाष (कार्यालय एवं निवास) तथा फेक्स नम्बर इत्यादि की सूची **<u>परिशिष्ठ अ</u>** के रूप में संलग्न है ।

18. **<u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत व्यवस्था</u>** :–

- आम नागरिकों को आबकारी विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर में सूचना अनुभाग का गठन किया गया है।
- विभाग में अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, मुख्यालय के पद पर पर वर्तमान में पदस्थापित श्री हर्ष भटनागर को विभाग का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- आम नागरिक विभाग के किसी भी स्तर के कार्यालय में सूचना प्राप्त हेतु आवेदन कर सकता है। संभाग अथवा जिला स्तर पर पदस्थापित संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त आवेदन विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है तथा मुख्यालय के सूचना अनुभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण किया जाता है।
- आवेदित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत आम नागरिक द्वारा अपनी अपील, आबकारी आयुक्त वं पदेन लोक सूचना अपीलीय अधिकारी, राजस्थान, उदयपुर को सम्बोधित कर, 2 पंचवटी, आबकारी भवन, गुमानियावालां, उदयपुर स्थित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

19. **<u>नवजीवन योजना</u>** :–

अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा नवजीवन योजना लागू की गई है। वर्ष 2008–09 में इसे प्रायोगिक तौर पर जोधपुर जिले में लागू किया गया था अब इस वर्ष 2009–10 में राज्य के समस्त जिलों में लागू किया जा चुका है।

नवजीवन योजना का प्रारूप परिशिष्ठ–ब के रूप में संलग्न है।

20. **<u>विभाग की वेबसाईट</u>** :–

विभाग का अधिकांश कार्य आन लाईन किया जाता है । आम नागरिक विभाग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिये विभाग की वेबसाईट www.rajexcise.org पर लॉग ऑन कर सकता है।

परिशिष्ट–अ

Excise Department

List of Officers With their Designation

EPBX No. 0294 – 2527086, 2526802 & FAX No. 0294 - 2527074, 2526801

S. No.	Name of Officer	Designation	Mobile No		Telephone No (Land Line)			
			RSBCL	Personal	STD Code	Office	Res.	Fax No.
1	Sh. Ajitabh Sharma, I.A.S.	E.C. Udaipur			294	2524911 2740829	2523655	2526801
		E.C. Udaipur (Camp Jaipur)			141		-	2740829
2	Sh. Amrit Kalash	Director, Enforcement, Jaipur	982910333 9414040601		141	5115999	2550988	5116777
3	Sh. Harsh Bhatnagar	Additional Commisioner Excise,	9414040605		294	2523124	2417730	2523124
4	Sh. S.L. Bohra	Additional Commissioner (Adm) Udaipur	9414040660		294	2527074	2483666	2527074
5	Sh. S.L.Choudhry	Finacial Advisor		9414166934	294	2528397	2460874	2528397
6	Vacant	Joint L .R.			294	2414837	2440194	
7	Vacant	Computer Programmer			294	2525920		
8	Sh. Shravan Sahani	Additional Commissioner, Zone Jaipur	9414040610	9829064446	141	2741087	2609494	2740829
9	Sh. Saeed Ahmad	Additonal Commisiioner, Zone Ajmer	9414040620	9414550710	145	2420008	2420008	2423516
10	Sh. A. R. Choudhry	Additonal Commissioner, Bikaner	9414040630		151	2530017	2233910	2530017
11	Sh. Kamaluddin Khilji	Additonal Commissioner, Zone Jodhpur	9414040640		291	2650394		2650396
12	Sh. Bhura Ram	Additonal Commissioner, Zone Kota	9414040650	9829041141	744	2364577	2470055	2364577
13	Vacant	DEO HQ & D.C. S. & A			294	2525154		2526801
14	Sh. Sudhir Joshi	Add. S.P. EPF, Zone Udaipur		9829250727				
15	Sh Rishi Raj Singh	D.C. EPF, Udaipur		9414436747	294	2524308	2493003	
16	Vacant	Sr. Accounts Officer			294	2527086	2413707	2526801
17	Mrs. Pushpa Suhalka	A. L .R.			294	2414837		2526801
18	Sh. Dheeraj Sisodia	Accounts Officer		9414208245	294	2527086		
19	Sh. Rahul Jain	Asstt. Chem. Examiner			294	2527086		2526801
20	Sh. Antar Singh	DEO Ajmer	9413340071		145	2423516		2423516
21	Sh. B.S. Sharma	DEO Alwar	9829018611		144	2732400		2732400
22	Sh. NanuRam Khatik	DEO Banswara	9413341526		2962	250560	250761	241310
23	Sh. Koja Ram Tada	DEO Barmer	9413340072	9414372908	2982	220427	221836	220427
24	Sh. D.C. Sharma	DEO Bharatpur	9413340075	9352536829	5644	225477		231542
25	Sh. Durga Lal Gupta	DEO Bhilwara	9413340076	9414044144	1482	232718	232759	232718

26	Sh. R.N. Meena	DEO Bikaner	9413340078		151	2200884	2233125	2530017
27	Sh. K.K. Sharma	DEO Bundi		9414372908	747	2457249	2443385	2444958
28	Sh. K.P.Deewana	DEO Baran	9413340081	9414246486	7453	231526	232864	231846
29	Sh. Ganga R. Meena	DEO Chittorgarh	9413341527	9414081281	1472	241587	240170	241587
30	Vacant	DEO Pratapgarh		9799828869	1478	222330		220583
31	Sh. J.P. Ranga	DEO Churu	9413340083	9414482945	1562	250307	251723	250275
32	Sh. R.K. Meena	DEO Ganganagar			154	2470182	2441982	2478093
33	Sh. Arun Prakash Sharma	DEO Hanumangarh	9982237137		1552	222088	223078	223095
34	Sh. D.P. Goswami	DEO Tonk	9414040027		1432	246717		243943
35	Sh. S.K.Tiwari	DEO Jaipur City	9829015917		141	2743196	2525188	2740829
36	Sh. Prabhu Singh Meena (AEO)	DEO Dausa	9413340090		1427	221180		230990 /230724
37	Sh. M.R. Inania	DEO (Pros.) Jaipur		9414304833	141	2740706	2597080	2740829
38	Sh B.L. Malakar	DEO Jaipur Rural		9571704219	141	2744580		2740829
39	Sh. K.R. Parmar	DEO Jalore	9413340091	9414152951	2973	222543		222207
40	Sh. R. D. Meena	DEO Jhalawar	9413340092		7432	232651		232651
41	Sh. D. P. Meena	DEO Jhunjhunu	9413340093		1592	232904	234918	232904
42	Sh. S. S. Bhati	DEO (Pros.) Jodhpur		9414090362	291	2650394	-	2650396
43	Sh. Mohmmad Yaseen Pathan	DEO Jodhpur	9413340094		291	2555324	2650398	2650396
44	Sh. S.M. Verma	DEO Kota	9414189333		744	2365623		5122744 / 2364893
45	Sh.Ganesha Ram (AEO)	DEO Nagaur	9413340096		1582	240019	240019	242344
46	Sh. R. S. Rathore	DEO Pali		9414238030	2932	256326	251099	257806
47	Sh. R.M. Gupta	DEO S. Madhopur	9413340098		7462	224062	220588	224062
48	Sh. C.S. Vijay	DEO Karoli	9413345018		7464	220271		220287
49	Sh. Sumer Singh Jhakhad	DEO Sikar	9413340099	9413519990	1572	248650	241021	517762
50	Sh. Kesara Ram	DEO Sirohi	9413342073	9414244126	2972	220709	220717	220709
51	Sh. B. S. Sandhu	DEO Udaipur	9414301216	9413342005	294	2527360	2461183	2527074
52	Sh. J.N. Purohit	DEO Rajsamand	9413342074	9414173437	2952	221650		223428
53	Sh. B.L.Guleria	DEO Dholpur		9829051321	5642	220763	220561	220763
54	Sh. Mukesh Bhargav (AEO)	DEO Jaisalmer	9414293029		2992	251608		255207/ 253182
55	Vacant	DEO Dungarpur			2964	230009		234990/ 230303
56	Sh. C. S .Jhala	DEO Distillery Udaipur		9414173437	294	2494342	2485051	2492334
57	Sh M. L.Sharma	DEO Distillery Jaipur		9414321220	141	2233849		2233453
58	Sh.Ganga Singh	E.O. EPF, Udaipur	9414000850		294	2482121		
59		EPF Line Udaipur			294	5122803		
60	Sh. Mukesh Deopura	AEO, R.S.B.C.L. Pratap Nagar			294	2490272		